

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 480 / 16 नं० / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई : बारे में
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------


21/08/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती..... श्रीमती. राजेश कुमारी पिता/पति..... श्री. राजेश
 मौजा..... खोरा थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या- 47/II
 में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 93 / 65-66 के आधार पर दर्ज है।
 जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के श्री. राजेश के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>खोरा</u>	<u>262</u>	<u>142</u>	<u>723</u>	<u>0.31</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 31/08/2020 को उपस्थापित करें।



 अंचल अधिकारी
 अड़की।

31/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितीकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती...श्रीमती सुभा.....
..... पिता/पति श्रीमती सुभा..... मौजा- वाँगा.....थाना-अड़की,
जिला-खूँटी के नाम से मौजा- वाँगा.....थाना नं० 262.....खाता सं० 142.....
प्लॉट सं० 723..... रकबा- 0.31 घा......लगान रुपये अलावे
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितीकरण की स्वीकृति दी जाती है

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।


अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा- वाँगा.....
..... थाना नं० 262.....के पंजी- II भौलुम (VOL- II.....) के पृष्ठ संख्या- 47.....पर
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


अंचल अधिकारी,
अड़की।